



कुमाऊं क्षेत्र  
का  
आधुनिकतम  
सुविधा प्रदान  
करने वाला  
संस्थान

**भट्ट  
स्किन,  
एलर्जी  
क्लीनिक**

ISO 9001-2015  
द्वारा प्रमाणित

**डॉ. सी.पी. भट्ट**  
एम.बी.बी.एस., डी.एन.बी  
त्वचा रोग विशेषज्ञ

**-- सुविधाएं --**



**विशेष सुविधाएँ :-**

**एलर्जी टेस्ट की सुविधा**  
 टेढ़ एवं अनचाहे बाल निकलवाने हेतु तथा स्किन टाइटनिंग, झाड़ियों के दाग मिटाने हेतु सभी प्रकार की लेजर सुविधा उपलब्ध ।  
 बोटोक्स, माइक्रोडर्माब्रिजन, डर्मारोलर, कैमिकल पीलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी की सुविधा उपलब्ध ।

**सूखसूखी बढ़ाने हेतु हाइड्रा फेशियल एवं मेडिकेटेड फेशियल की सुविधा उपलब्ध ।**

**बालों के लिए पी.आर.पी. एवं जी.एफ.सी. की सुविधा उपलब्ध ।**

**पता : ऊँचापल ए.पी.एस. सिटी ऑफिस के पास कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी**  
**फोन : 05946-260615**  
**8193869851**

**रविवार अवकाश**

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने नागर विमानन महानिदेशालय को दिया सुझाव

# पायलटों के प्रशिक्षण रिकॉर्ड की जांच करने की सिफारिश

## तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। एएआईबी ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सभी विमानों के पायलटों के प्रशिक्षण रिकॉर्ड की एक बार जांच करने की सिफारिश की है। इसमें विशेष रूप से गैर-अनुसूचित विमान सेवा संचालकों के पायलटों के रिकॉर्ड की जांच करने को कहा गया है।

जांच करने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सिम्प्लेटर प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में सभी अनिवार्य अभ्यास कराए जा रहे हैं या नहीं।  
एआईबी ने गैर-अनुसूचित और सामान्य विमानन सेवा संचालकों को निर्देश जारी करने का भी सुझाव दिया है। इसके तहत उन्हें ऐसी व्यवस्था विकसित करने को कहा जा सकता

**उड़ान के लिए पहाड़ी क्षेत्र का अनुभव हो: एएआईबी**



नई दिल्ली, एजेंसी। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट के पास पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरने का न्यूनतम अनुभव होना जरूरी है। विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने सिफारिश की।

है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पायलटों को नियामकीय नियमों के अनुसार सभी अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इनमें गंभीर आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण भी शामिल है।

ये सिफारिशें 14 सितंबर, 2023 को मुंबई हवाई अड्डे पर वीएसआर वेंचर्स के लियरजेट 45एक्सआर विमान (वीटी-डीबीएल) के

दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। हादसे में विमान में सवार सभी आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विमान विशाखापत्तनम से गैर-अनुसूचित उड़ान पर था। वहीं, चारधाम यात्रा मार्ग पर वर्ष 2015 से 2025 के बीच हेलीकॉप्टर से जुड़ी आठ दुर्घटनाएं हुईं। ज्यादातर हादसों की वजह चालक दल द्वारा एसओपी का पालन नहीं करना रहा।

## किराए के नियम दो हफ्ते में लागू होंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।  
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम  
कोर्ट को बताया कि हवाई किराया में  
अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव पर  
लगाम लगाने के लिए संबंधित कानून  
को मंजूरी दे दी गई है और इसे दो  
सप्ताह में प्रकाशित कर दिया जाएगा।  
शीर्ष अदालत ने सरकार को

प्रकाशित होने वाले नियमों को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति ए.के.सिंह की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी।

# संसद का विशेष सत्र बुला सकती है केंद्र सरकार

रखा है। ऐसी स्थिति में सरकार कभी भी संसद की विशेष बैठक बुला सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी के लिए ही इसे जारी रखा हुआ है। इसके लिए वह जरूरी दो तिहाई का आंकड़ा सुनिश्चित कर रही है।

परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक  
बुलाए केंद्र: कांग्रेस ने केंद्र को पत्र लिख बुधवार व्यापक परामर्श के एक आस-सवैधानिक विधेयक को पारित करने को कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है साथ ही पार्टी ने मानसून सत्र के सत्रावसान में हुई देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी ने केंद्र से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष खरगे ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है।

## सऊदी अरब के लिए उड़ानें 20 तक रद्द

**नई दिल्ली, एअरसे।** एयर इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि उसने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों का रद्दीकरण 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। खाड़ी देश पर हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इससे पहले, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों को 17 अक्टूबर तक रद्द किया था।

देश-विदेश 30 S

## रूस में 6.9 तीव्रता भूकंप के तेज झटके

मॉस्को, एंजोसी। रूस के ओजोनोस्फ़ी में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। अन्य इलाकों में पांच तीव्रता के झटके आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप का केंद्र 143.2 किलोमीटर की गहराई में था। रूसी विज्ञान अकादमी की भूभौतिकीय सेवा के अनुसार, कामाटोका में चार तीव्रता तक का भूकंप दर्ज किया गया। पेट्रोपावलोवस्क-कामवात्सकी में मापी गई तीव्रता चार तक रही।

## इंडोनेशिया के जंगल में आग से चार मरे

**जकार्ता, एंजैसी।** इंडोनेशिया के जावा द्वीप स्थित ब्रामो टार सभेसु राष्ट्रीय उद्यान में जंगल की आग बुझाने के दौरान घने धुएं और लपटों में फंसे नए चार लोगों की मौत हो गई और दो स्वयंसेवक गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पूर्वी जावा प्रांत के प्रोबोलिंगो जिले में स्थित उद्यान के मेंटिजेन और पुशुंग लिमकर क्षेत्रों में पिछले दिनों आग लगी थी।

## एसआरएफटीआई के

## छह छात्र निष्कासित

कोलकाता, एप्रैल १। सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफ़आरएफ़टीआई) ने छह छात्रों को निष्कासित कर दिया है। संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि इन छात्रों पर वास-वांसेर और झपकपक के साथ मारीट करने तथा कैपस के अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप है। वहीं कैपस सुरक्षा को लेकर छात्रों का अंदोलन शुरू करने को १८८ दिन भी जारी रहा। एफ़आरएफ़टीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि संस्थानमेंफ़ॉर्मा, एडिटिंग और फ़िक्ममेंगैंग सहित विभिन्न विभागों के तीन और विभागाध्यक्षों ने छह छात्रों को संस्थान से निकाल दिया है।

**स्वदेशी पोत लंबे समय तक समुद्र में टिकेगा : नौसेना प्रमुख**



अभियान जारी रखने में मदद मिलेगी। पोट को नौसेना में शामिल किए जाने के समारोह में पोट के चालक दल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च मानक स्थापित करने की जिम्मेदारी चालक दल की है।

नीसना प्रमुख ने कहा कि इस पोत की क्षमताएं केवल परीक्षा और मूल्यांकन तक सीमित नहीं हैं। लंबे समय तक समुद्र में टिके रहने और अन्य पोतों को सहायता देने की इसकी क्षमता से नीसना को विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में लंबे समय तक को नीसना में शामिल किए जाने के करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च मानक

उपराष्ट्रपति सीबीए स्वायामीनाथन ने पोत को नीसना में शामिल किए जाने को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित अपने पोत निर्माण केंद्र में किया है। इस पोत में 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर

## रुबियो से मुंबई में मुलाकात नई बात नहीं: केंद्र

**नई दिल्ली।** विदेशमंत्री एस जयशंकर के अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के लिए मुंबई जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह कोई नई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्राध्यक्षों को अगवानी दिल्ली से बाहर की है। काग्रेस ने हाल ही में रुबियो की मुंबई यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंबई जाने पर सवाल उठाए थे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि एक देशक से भारत के अलग-अलग शहरों में समय-समय पर विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने का रिवाज रहा है।

## फैसला: एच-4 वीजाधारकों का ऑटो-रिन्यूअल खत्म

**वाशिङ्गटन, एजेंसी** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आब्रन न्यायों को सख्त कर दिया है। एक नए फैसले के तहत वह परमिट के बिना राकेट के लिए दिए जाने वाले ऑटोमैटिक रिज्यूअल की नीति को अधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इस फैसले से एच-1बी वीजा धारकों के एक लाख से अधिक भारतीय जीवनसाथी (एच-4 वीजाधारक) प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आब्रन सेवे ने बुधवार को इस नियम को अंतिम रूप से लागू कर दिया था।

**अमेरिकन नेशुरल क्लिमा था: मई 2022** में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

**अमेरिका छोड़ सकती हैं**  
**प्रतिभाएं : माइक्रोसॉफ्ट**

माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयर और प्रेजिडेंट डेव सिम्थ ने घोषणा दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप द्वारा कलकत्ता विदेशी कर्मचारियों के हंगेरिंग प्लेट-बी वीजा और ग्रीन कार्ड पर की जा रही सख्ती टेक टैलेन्ट को दूसरे देशों की ओर धकेल सकती है। इससे दशकों तक अमेरिकी टेक सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो सकती है। आयर्लैंड के डबलिन में आयोजित 'इंटरनेशनल एआई एसिटिव' के दौरान सिम्थ ने प्रशासन के तहत एक लेआउट दिखाया:

**पंजाब नैशनल बैंक**  
...भरोसे का प्रतीक !

**punjab national bank**  
...the name you can BANK upon !

---

**सैम विभाग, मण्डल कार्यालय, ऊँचापुल, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड – 263139**

**अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी के लिए विक्रय नोटिस**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के अधीन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 8(6) के अन्तर्गत विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना। जन सामान्य व उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शायी गयी प्रतिभूति आस्तियां सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रमाणित है, जिसका रचनात्मक/प्रतितात्मक/भौतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदारों द्वारा ले लिया गया है, को बैंक/सुरक्षित लेनदारों की उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) पर बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसे है जहाँ है', 'जैसे है जो है' एवं 'जो भी वहाँ है' के आधार पर निम्न तालिका में दर्शायी गयी विधिको विक्रय की जायेगी। आश्रित मूल्य व जमा घरोहर राशि निम्न सारणी में संदर्भित सम्पत्तियों के सामने दर्शायी गयी हैं।

**प्रतिभूति आस्तियों की अनुसूची**

| क्र० सं०                                                           | शाखा का नाम                                                                                                                                                                              | अचल सम्पत्तियों का विवरण<br>बंधक/सम्पत्ति स्वामी का नाम<br>(बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियाँ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अ) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन जमा सूचना की तिथि                                                                    | अ) आश्रित मूल्य                                                             | ई-नीलामी की तिथि व समय                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                    | उधारकर्ता/गारन्टोरों के खाते का नाम और पता                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब) बकाया धनराशि<br>स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की तिथि<br>द) कब्जे की प्रकृति (प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक) | ब) ई.एम.डी.<br>स) बोली बढ़ाने की राशि                                       |                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | <b>सम्पत्ति में सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार</b>                          |                                                 |
| <b>सरफेसी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री हेत 30 दिन का वैधानिक नोटिस</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2026</b>                                                                                    |                                                                             |                                                 |
| 1.                                                                 | <b>शाखा: जयनगर मल्होटा (1224)</b><br><b>1. मैसर्स अतुल टैंट हाउस (कर्जदार),</b> पता- सुधा वर्मा पत्नी विजय वर्मा, दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड – 263153                            | बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता सं. 42, खसरा सं. 75 का मिन, ग्राम- जकपुरपुर, दिनेशपुर से सटे, जकपुरपुर रोड, तहसील- गदपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित है। क्षेत्रफल 86.89 वर्ग मीटर। सम्पत्ति श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री रामजीत सिंह के नाम पर दर्ज है। स्वामित्व- श्रीमती कमलेश देवी पत्नी रवि. श्री रामजीत। नोट : यह सम्पत्ति मैसर्स कोटलाइन भार्टी के पास भी गिरवी रखी गई है। | अ) 07.07.2022<br>ब) रु. 12,00,478.06 दिनांक 00.00.00.00 से अतिरिक्त ब्याज व शुल्क सहित<br>स) 19.10.2022<br>द) सांकेतिक कब्जा      | अ) रु. 48,15,000.00<br>ब) रु. 4,81,500.00<br>स) रु. 50,000.00<br>ज्ञात नहीं | 26.11.2026<br>प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 तक |
| 2.                                                                 | <b>शाखा: जयनगर मल्होटा (1224)</b><br><b>1. हनुमान सिंह पुत्र चंदन सिंह (कर्जदार एवं बंधककर्ता),</b> वार्ड नं. 2, दिनेशपुर, पोस्ट दिनेशपुर, तहसील रुद्रपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर – 243201   | बंधक अचल सम्पत्ति (आवासीय घर/प्लॉट) के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता सं. 37, खसरा सं. 352 का, ग्राम- चंद्रनाथ, तहसील- गदपुरपुर में स्थित है। क्षेत्रफल 0.008 हेक्टेयर/83.64 वर्ग मीटर/90.0 वर्ग फुट। सम्पत्ति उप-निबन्धक के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द 1540, पृष्ठ सं. 87 से 98, क्रमांक सं. 2528, दिनांक 11.03.2023 को हस्तचन सिंह पुत्र चंदन सिंह के नाम पर दर्ज है।                                           | अ) 13.07.2026<br>ब) रु. 5,82,662.22 दिनांक 00.00.00.00 से अतिरिक्त ब्याज व शुल्क सहित<br>स) 29.05.2026<br>द) सांकेतिक कब्जा       | अ) रु. 20,60,000.00<br>ब) रु. 2,06,000.00<br>स) रु. 50,000.00<br>ज्ञात नहीं | 22.12.2026<br>प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 तक |
| 3.                                                                 | <b>शाखा: ऊँचापुल मल्होटा (210420)</b><br><b>1. देवकी देवी पत्नी नंदा बल्लभ जोशी (बंधककर्ता एवं कर्जदार),</b> मकान नं. 8, बंदी विशाल कॉलोनी, आरटीओ रोड, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल – 263139 | बंधक अचल सम्पत्ति (आवासीय घर/प्लॉट) के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता सं. 297, खसरा सं. 225, ग्राम- छरायल नयाबाद, तहसील हल्द्वानी में स्थित है। क्षेत्रफल 1012 वर्ग फुट। सम्पत्ति उप-निबन्धक के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द 2157, पृष्ठ सं. 375 से 386, क्रमांक सं. 1919, दिनांक 04.04.2015 को श्रीमती देवकी देवी पत्नी नंदा बल्लभ जोशी के नाम पर दर्ज है।                                                         | अ) 05.06.2026<br>ब) रु. 9,50,994.13 दिनांक 00.00.00.00 से अतिरिक्त ब्याज व शुल्क सहित<br>स) 19.08.2026<br>द) सांकेतिक कब्जा       | अ) रु. 41,00,000.00<br>ब) रु. 4,10,000.00<br>स) रु. 50,000.00<br>ज्ञात नहीं | 22.12.2026<br>प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 तक |

1. बिक्री को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन किया जायेगा एवं आगे प्रदत्त नियमों का अनुसरण करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री 'जैसे है, जहाँ है, 'जैसे है जो है' एवं 'जो भी वहाँ है' के आधार पर की जायेगी। 3. प्रतिभूति आस्तियों का विक्रय जो अनुसूची में ऊपर दिया गया है वह प्राधिकृत अधिकारी की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्त प्रकाशन में किसी भी त्रुटि/अशुद्ध वर्णन या कृत्रिम/कलंक के लिए ज़ायदादे नहीं होगा। 4. किसी ओवरहाउसके के द्वारा ई-नीलामी की विधिको प्रक्रिया से वेबसाइट <https://baanknet.com> पर दिनांक 26.11.2026 को क्रम संख्या 01 तथा दिनांक 22.12.2026 को क्रम संख्या 02 से 03 तक की सम्पत्तियों की बिक्री उनके सामने उल्लिखित समय सारणी के अनुसार की जायेगी। 5. विक्रय के नियमों और शर्तों के विवरण की विस्तृत जानकारी हेतु <https://baanknet.com>, [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) पर देखें।

**प्राधिकृत अधिकारी (सुरक्षित लेनदार)**

**अधिकृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 7078609277**

स्थान : हल्द्वानी, जिला नैनीताल

दिनांक : 14.10.2026

पंजाब नैशनल बैंक

[illegible]